सप्तदश बिहार विधान सभा

नवम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–02 मंगलवार, दिनांक–11 जुलाई, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 11:06 बजे पूर्वाह्न तक।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए। कार्यस्थगन की सूचना आसन को प्राप्त है। उचित समय पर उसपर विचार किया जाएगा। फिर भी माननीय सदस्यगण शांत नहीं हुए। इसके बाद भी आसन द्वारा बार–बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने तथा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया, परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 02:10 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[2] आसन का संदेश (सदन के अन्दर मर्यादित आचरण एव मोबाईल फोन के सन्दर्भ में) :–

(1) मैं सदन को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत सुचारू रूप से चलाना चाहता हूँ। सदन में प्रश्नकाल को बाधित करने की जो कार्रवाई आज कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा की गयी है वह सर्वथा अनुचित है। सदन का समय आम जनता की समस्याओं के निदान के लिए होता है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि सदन को शांति से चलाने में आसन का सहयोग करें।

यदि किन्हीं माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में अव्यवस्था कायम करने, अमर्यादित आचरण करने, सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के साथ–साथ सदन की गरिमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया जाएगा तो उन माननीय सदस्यों के विरुद्ध बाध्य होकर मुझे नियमानुकूल कार्रवाई करनी होगी।

(2) आपसबों से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि मोबाईल फोन सदन में न लाएं क्योंकि सदन की कार्यवाही के समय फोन बजने से कार्य में बाधा पहुँचती है। प्रायः यह भी देखा गया है कि माननीय सदस्यगण अपने मोबाईल फोन से सदन की कार्यवाही का फोटो लेते हैं एवं वीडियों बनाते हैं, यह भी सर्वथा अनुचित है। इसलिए आप अपना मोबाईल फोन सदन में न लावें तो ज्यादा अच्छा है और अगर लाते हैं तो उसे साइलेंट मोड में रखें तथा किसी भी परिस्थिति में फोटो या वीडियो बनाने का प्रयास नहीं करें।

[3] विधायी कार्य – राजकीय विधेयक :–

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

माननीय मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव तथा जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री संजय सरावगी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

तत्पश्चात विचार का प्रस्ताव सदन से पारित हुआ।

विधेयक पर विचार की स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

तदुपरान्त **"बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023"** सदन से स्वीकृत हुआ।

[4] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

माननीय सभापति, निवेदन समिति, श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन द्वारा निवेदन समिति का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित 10वाँ प्रतिवेदन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित 11वाँ प्रतिवेदन एवं समाज कल्याण विभाग से संबंधित 12वाँ प्रतिवेदन सभा मेज पर रखा गया।

[5] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 32 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक–12 जुलाई, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–11.07.2023

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।